जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना बढ़ापुर **दिनाँक – 12/09/2026**

थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 150/2026 धारा 303(2) बीएनएस में एक अभियुक्त को चोरी किये गये बैल सहित गिरफ्तार किया गया।

सक्षिप्त विवरण व कार्यवाही विवरण-

दिनांक 12.09.2026 को वादी मोनू कुमार पुत्र रोहिताश सिंह निवासी ग्राम खत्रीवाला, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढ़ापुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 11.09.2026 की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके घेर से एक बैल चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढ़ापुर पर मु0अ0सं0 150/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए महज 06 घंटे में घटना का सफल अनावरण किया गया तथा प्रकाश में आये अभियुक्त जमालुद्दीन उर्फ जम्मा पुत्र रशीद निवासी किशनपुर कुण्डा, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर को चोरी किए गए बैल को सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

जमालुद्दीन उर्फ जम्मा पुत्र रशीद निवासी किशनपुर कुण्डा, थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

एक बैल

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री सिनोद कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
2. कां0 1040 दीपक कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
3. कां0 1140 अंकित यादव थाना बढापुर जनपद बिजनौर।
4. कां0 1107 सुधीर कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना मंडावर **दिनांक 12-09-2026**

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 245/26 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 246/26 धारा 305(ए) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण को चोरी किये गये सामान सहित गिरफ्तार किया

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2026 को वादी श्री बोबी सक्सेना पुत्र बाबूराम सक्सेना निवासी मौ0 शम्भा बाजार, थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 06.09.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा कालेन्द्री देवी मंदिर से एक नाग देवता एवं पीतल का घंटा चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 245/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 11.09.2026 को वादी श्री टीकम सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर, थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 08.09.2026 एवं 10.09.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा नर्मदेश्वर शिव मंदिर से एक थाल, एक पीतल का लोटा, 04 छोटी घंटियां, 03 छोटे दीपक एवं एक पीतल की ज्योत चोरी कर ली गई। तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 246/2026 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त दोनों अभियोगों में अभियुक्तगण 1. विपिन कुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शेखुपुरा, थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर एवं 2. शौकत पुत्र नजीर निवासी मौ0 कस्साबान, थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आए। प्रकरण में अग्रिम विवेचनात्मक/विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

कार्यवाही-

थाना मण्डावर पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आए अभियुक्तगण 1. विपिन कुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शेखुपुरा, थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर एवं 2. शौकत पुत्र नजीर निवासी मौ0 कस्साबान, थाना मण्डावर, जनपद बिजनौर से चोरी की गई एक नाग देवता की मूर्ति, एक पीतल का घंटा, एक थाल, एक पीतल का लोटा, 04 छोटी घंटियां, 03 छोटे दीपक एवं एक पीतल की ज्योत तथा घटना में प्रयुक्त साइकिल बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.विपिन कुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह नि0 ग्राम शेखुपुरा थाना मण्डावर बिजनौर
2.शौकत पुत्र नजीर नि0 मौ0 कस्साबान थाना मण्डावर बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

एक नाग देवता की मूर्ति, एक पीतल का घंटा, एक थाल, एक पीतल का लोटा, 04 छोटी घंटियां, 03 छोटे दीपक, एक पीतल की ज्योत तथा एक साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री मनोज कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
3.का0 1075 अजीत कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
4.का0 1016 अमित कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
5.रि0का0 2999 वैभव तोमर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
6.रि0का0 2834 तुषार राणा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 12.09.2026**

शहर बिजनौर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित बनाए जाने हेतु ई-रिक्शा संचालन के लिए रूट निर्धारण एवं ई-रिक्शा यूनियन के साथ बैठक के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नगरीय क्षेत्रों को जाममुक्त कराये जाने हेतु दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2026 को पुलिस लाइन सभागार, बिजनौर में उपजिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों एवं संबंधित ई-रिक्शा चालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजनौर शहर में ई-रिक्शाओं के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु निर्धारित रूट प्लान से सभी संबंधितों को अवगत कराया गया।

जाम की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु सम्पूर्ण बिजनौर शहर को **दो जोन (हरा एवं लाल)** में विभाजित करते हुए ई-रिक्शाओं के संचालन हेतु **दो निर्धारित रूट** तय किए गए हैं। निर्धारित रूट पर ई-रिक्शाओं का संचालन प्रतिदिन प्रातः **08:00 बजे से रात्रि 20:00 बजे तक** किया जाएगा। स्कूली बच्चों एवं बीमार व्यक्तियों को ले जाने वाले ई-रिक्शाओं को निर्धारित रूट में आवश्यकतानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

उक्त रूट प्लान दिनांक **01.10.2026 से प्रभावी** होगा। सभी ई-रिक्शाओं को निर्धारित रूट पर ही संचालित किया जाएगा। निर्धारित रूट के अतिरिक्त अन्य मार्गों पर ई-रिक्शा संचालित पाए जाने पर **मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही** की जाएगी। साथ ही, अपंजीकृत एवं असत्यापित ई-रिक्शाओं का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में बैठक के दौरान ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों एवं संबंधित चालकों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया।

Sports
Gaming
prime video
Trending now
Sponsored
मानचित
पुलिस थाना एवं चौकी

मानचित
पुलिस थाना एवं चौकी

E-Riksha Route bijnor

E-Riksha Route nagar bijnor

Route-01 शक्ति चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहा, सैन्ट मैरी स्कूल चौराहा, मण्डावर चौराहा, मित्तल पैट्रोल पम्प तिराहा, ईदगाह तिराहा, ईदगाह चौराहा, बाईपास होते हुए जाटान चौकी, पुरानी तहसील, डाकखाना चौराहा, नगर पालिका तिराहा, से शक्ति चौराहा तक के मध्य सम्पूर्ण क्षेत्र

Route-02 शक्ति चौराहा से रेलवे स्टेशन चौराहा, सैन्ट मैरी स्कूल चौराहा, कन्ट्रोल रूम तिराहा, नगीना चौराहा, कालिका माता मन्दिर चौराहा, कृष्णा कॉलेज तिराहा, चांदपुर तिराहा, चांदपुर की चुंगी, जाटान चौकी, पुरानी तहसील, डाकखाना चौराहा, नगर पालिका तिराहा, से शक्ति चौराहा तक के मध्य सम्पूर्ण क्षेत्र

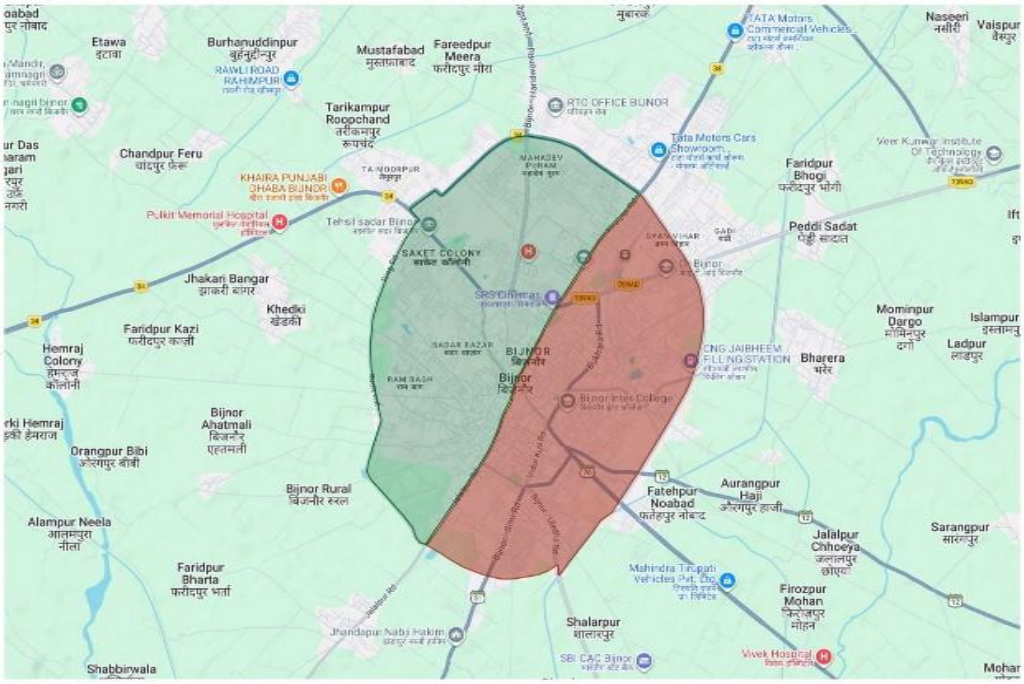

नोट- शहर बिजनौर में शक्ति चौराहा से डाकखाना चौराहा की ओर केवल ई-रिक्शा जा सकेगी वापस नही आयेगी, यह मार्ग ई-रिक्शाओं के लिए वन-वे रहेगा ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना मण्डावली दिनांक 12.09.2026

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-107/26 धारा 305(a)/317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित एक अभियुक्त को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाकं 11.09.2026 को वादी मौ० इरफान पुत्र बन्दे हसन निवासी ग्राम भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर द्वारा थाना मण्डावली पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी का एक एच0पी0 गैस सिलैण्डर चोरी कर लिया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावली पर मु0अ0स0 107/26 धारा305(a)बीएनएस पंजिकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 12.09.2026 को अभियोग उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त साहिल पुत्र अहसान निवासी ग्राम बडी मस्जिद के पास ,भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को चोरी के एक एचपी गैस सिलैण्डर सहित गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

साहिल पुत्र अहसान निवासी ग्राम बडी मस्जिद के पास ,भागूवाला थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

बरामदगी-

01 एच0पी0 घरेलू गैस सिलैण्डर

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-0107/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
2.मु0अ0स0-044/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3.मु0अ0स0-045/26 धारा 303(2)/317(2)बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
4.मु0अ0स0-051/26 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लखनलाल थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 राहुल कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
3. का0 249 मोनू कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
4. का0 2585 ब्रिजेश कुमार थाना मण्डावली जनपद बिजनौर
5.का0 3212 दुष्यंत मलिक थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर **दिनाँक-12.09.2026**

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 225/2026 धारा 109(1)/ 352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 18.06.2026 को थाना नूरपुर पर वादी कैलाश सिंह पुत्र दिग्विजय सिंह निवासी मौ0 रामनगर, लक्ष्मी कालोनी, कस्बा व थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त फरदीन उर्फ सुहैल पुत्र रहीस अहमद निवासी मौ0 शहीदनगर, कस्बा व थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर द्वारा सब्जी के पैसों के लेन-देन को लेकर वादी एवं उसके पुत्र महेन्द्र के साथ मारपीट की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 225/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त फरदीन उर्फ सुहैल वांछित चल रहा था। आज दिनांक 11.09.2026 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त फरदीन उर्फ सुहैल पुत्र रहीस अहमद निवासी मौ0 शहीदनगर, कस्बा व थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फरदीन उर्फ सुहैल पुत्र रहीस अहमद निवासी मौ0 शहीदनगर, कस्बा व थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्रीकान्त सत्यार्थी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. का0 2035 असलम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. का0 1045 पवन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।